"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2008—पौष 14, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 621/अ. वि. अ./वा.-1/07.—आवेदक श्री शिवप्रताप साव पिता स्व. श्री अमरनाथ साव, निवासी कृष्णा नगर वार्ड, जूना बिलासपुर, बिलासपुर द्वारा श्री अमरनाथ धर्मार्थ ट्रस्ट-स्थान मस्तूरी जिला बिलासपुर को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा मेरे समक्ष में स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	-	श्री अमरनाथ धर्मार्थ ट्रस्ट स्थान-मस्तूरी; तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर द्वारा-श्री शिवप्रताप साव पिता स्व. अमरनाथ साव निवासी-कृष्णा नगर वार्ड जूना बिलासपुर बिलासपुर (छ. ग.)
2.	चल सम्पत्ति	-	5000 रुपये यूको बैंक, शाखा मस्तूरी
3.	अचल सम्पत्ति	-	ग्राम मस्तूरी, प. ह. नं. 40, तहसील मस्तूरी जिला में भूमि ख. नं. 280/9 रकबा 5.00 एकड़.

संजय अग्रवाल
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

प्रारूप चार

नियम 5 (1) देखिये

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 2370/प्र. 1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि सदर (प्रधान) श्रीमती सर्वाणी चक्रवर्ती ध. प. एस. चक्रवर्ती द्वारा "श्री शिर्डी सांई बाबा सेवा संस्थान ट्रस्ट भिलाई " छ. ग. नें छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गई. न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 7-1-2008 को विचार के लिये किया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: में तारन प्रकाश सिन्हा,अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 7-1-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक के एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन

1.	लोक न्यास का नाम	-	"श्री शिर्डी साई बाबा सत्संग सेवा ट्रस्ट" भिलाई दुर्ग (छ.ग.)
2.	संपत्ति रुपये	-	12,129-00 (बारह हजार एक सौ उन्तीस रुपये) समाज द्वारा संग्रहित राशि.

तारन प्रकाश सिन्हा
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.